A.C.M. आमेर जि० जयपुर

फर्द अहकाम

मनोहर बनाम तेजाराम

लय

28/24 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
18/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। बहस पत्रावली सुनी गई। वास्ते आदेश निर्णय 22/12/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रस्तुत तर्कों, साक्ष्यों, गवाहों व दस्तावेजों के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है तदनुसार यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पुनाना तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895 रकबा 2.13 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 50/71 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को बराबर-बराबर (1/7 - 1/7) रूप से घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से 1/7 के हिस्से के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। विस्तृत निर्णय व [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 28/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –24.04.2024

मनोहरलाल पुत्र तेजाराम, उम्र वर्ष, निवासी नाली वाली ढांणी श्याम कालोनी के पास, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज०)

.......वादी

बनाम

1. तेजाराम पुत्र नाथू उर्फ नाथ्या
2. भगवान सहाय पुत्र तेजाराम
3. रमेश पुत्र तेजाराम
4. बोदूराम पुत्र तेजाराम
   निवासीयान नाली वाली ढांणी श्याम कालोनी के पास, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज0)
5. सायर पुत्री तेजाराम पत्नी रामप्रताप निवासी इन्दोकिया तन भम्भौरी, तहसील कालवाड जिला जयपुर (राज0)
6. मीरा देवी पुत्री तेजाराम पत्नी लालाराम निवासी बस्सी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर (राज0)
7. गिरधारीलाल पुत्र भगवान सहाय
8. जगदीश पुत्र भगवान सहाय
9. प्रभुदयाल भगवान सहाय
10. मुकेश पुत्र भगवान सहाय
    समस्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम पुनाना, तहसील जालसू जिला जयपुर (राज0)
11. सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री राम अवतार शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.12.2025

निर्णय

वादी [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था परन्तु प्रार्थना आदेश 21 नियम [illegible] सपठित धारा 151 स्वीकार होने पर संशोधित वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 पेश किया गया, हस्तगत संशोधित वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत –6 एक ही हिन्दू

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादीगण सं0—1 लगायत 6 की पैतृक कृषि आराजीयात भूमि आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 2.13 हैक्टयर वाके ग्राम पुनाना पटवार हल्का पुनाना भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रतिवादी सं0—1 के नाम से हिस्सा 50/71 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे वादी व प्रतिवादीगण सं0—1 लगायत 6 बराबर बराबर रूप से 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वाद पत्र के मद सं० 1 में उल्लेखित आराजीयात को आगे के मदो मे वादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त प्रकार से वादी का दादा स्व. श्री नाथू उर्फ नाथ्या पुत्र गणेश जिसके वादी के पिता हाल प्रतिवादी सं0—1 हुआ। प्रतिवादी सं0—1 से वादी व प्रतिवादीगण सं०—2 लगायत 6 विधिक उत्तराधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी सं0—1 लगायत 6 की पुश्तेनी कृषि आराजीयात वाके ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे से खसरा नम्बर 29 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को वादी के पिता ने वर्ष 2000 से पूर्व ही विक्रय कर दिया था। तत्पश्चात वादी के पिता/प्रतिवादी सं0—1 लगायत —3 ने मिलकर पुश्तेनी कृषि आराजीयात वाके ग्राम सिरसी के खसरा नम्बर 7 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्ष 2011 में बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा विकय करदी जिसपर बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मौके पर श्याम नगर कालोनी मौकेपर बसायी गयी है तथा उक्त सोसायटी के सदस्य पटटाधारी काबिज होकर मकानात निर्माण कर निवास करते चले आ रहे है। उक्त पुश्तेनी आराजीयात के विक्रय से प्राप्त राशि एवं संयुक्त परिवार की अर्जित आय से प्रतिवादी सं0—1 के नाम से संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान होने के नाते वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम पुनाना में खरीद की जिसपर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0—1 लगायत 6 बराबर बराबर रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3 दुरभिसंधि करके तथा बेईमानीपूर्ण आशय से वादी की ग्राम सिरसी तहसील जिला जयपुर में स्थित पुश्तेनी आराजीयात खसरा नम्बर 76, 77, 79 मे से वर्ष 2023 में करीब 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पुन: विक्रय करदी। उक्त विक्रय की गयी प्रतिफल राशि भी प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3 ने ही रखली उक्त विकय की प्रतिफल राशि मे से वादी को उसके हिस्से की राशि मे से एक रूपया भी नही दिया तो वादी ने अपने हिस्से की राशि की मांग की तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वाके ग्राम पुनाना मे भी वादग्रस्त आराजीयात जो ग्राम सिरसी की पुश्तेनी भूमि के विकय के प्रतिफल स्वरूप क्रय की गयी है उसमें वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण सं0—1 लगायत 3 भडक गये तथा वादी को धमकी दी कि आपकी कोई जमीन भूमि नाम नही करायेगे। प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3 ने साज पूर्वक एवं बेईमानी पूर्वक तरीके से पुश्तेनी कृषि भूमि को उपरोक्त प्रकार से खुर्द बुर्द करते आ रहे है दिनांक 10—03—2024 को प्रतिवादी सं0—1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं0—2 व 3 के पुत्रो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

ने मिलकर दिन में करीब 12.30 बजे वादी व वादी के पुत्रो के साथ लडाई झगडा करना शुरू कर दिया तथा वादी व उसके पुत्रो के साथ मारपीट की तथा वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजीयात को विकय करने की धमकी दी कि वाके ग्राम पुनाना व ग्राम भैसावा मे स्थित कृषि आराजीयात को भी हम विक्रय करके रहेगे। चूंकि उक्त आराजीयात भी रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0–1 के नाम से खरीदी हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 ने संयुक्त परिवार एवं पुश्तेनी आराजीयात के विकय से प्राप्त प्रतिफल राशि से क्रय की गयी भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते है जिसके बाबत दिनांक 12–04–2024 को पुश्तेनी आराजीयात वाके ग्राम सिरसी के सबंध मे राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (राज०) द्वारा बैचान के सबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश पारित कर बेचान करने के लिये पाबंद कर दिया जिसके कोर्ट से नोटिस जाने पर प्रतिवादीगण भडक गये तथा वादी को धमकी दी कि वाके ग्राम सिरसी की भूमि को तो पुश्तेनी साबित कर देगा किन्तु ग्राम पुनाना व भैसावा मे जो भूमियाँ है वो प्रतिवादी सं0–1 के नाम से है उनको पुश्तेनी कैसे साबित करेगा और उसको हम एक दो दिन मे ओने पोने दामो मे दिगर व्यक्ति को विक्रय कर देगे हम देखते है कि कानून में आपको कैसे मदद मिलेगी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 आपसी साज पूर्वक एवं दुरभिसंधि करके विक्रय करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तेनी कृषि भूमि है जिसमे वादी अपने हिस्से की भूमि का मनबट के आधार पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी की कब्जे काश्त की भूमि को सींवजोड को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा वादी के हिस्से की भूमि को दिनांक 12–04–2024 को तकासमा करने से इन्कार कर दिया तथा बेदखल करने व खुद बुर्द करने की धमकी देने के कारण श्रीमान के समक्ष तकासमा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृकि कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक अधिकार है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपने हिस्से की आराजीयात का कानूनी रूप से अपने हिस्से की भूमि को सुरक्षित रखने एवं उपयोग व उपभोग करने के लिये हक अधिकारी है प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 12–04–2024 को वादी को वादग्रस्त आराजीयात को ओने पाने दामो मे विक्रय करने एवं खुर्द बुर्द करने की धमकी देने तथा दिखावटी बेनामी संव्यवहार के माध्यम से खुर्द बुर्द करना चाहते है व भूमाफियाओ को विकय करने की धमकी देने के कारण हक की घोषणा करवाने के लिये श्रीमान के समक्ष घोषणा का दावा लाना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे वादी अपने हिस्से की भूमि पर मनबट के आधार पर काबिज काश्त है। वादी को प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 3 ने दिनांक 16–04–2024 को ग्राम सिरसी की आराजीयात मे दावे के स्टे के नोटिस को लेकर भडक गये तथा वादग्रस्त आराजीयात के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने व भूमि को भूमाफियाओ को विक्रय करने की धमकी दी। इस प्रकार वादी को कानूनी रूप से हक अधिकारी है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नही करे, विकय, रहन, बख्शीश या अन्य किसी प्रकार से किसी सोसायटी को जरिये इकरारनामा हस्तांतरण नही करे, तथा निर्माणात आदि नही करे ऐसा कृत्य प्रतिवादी ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, प्रतिनिधि, परिवारजन, रिश्तेदार आदि से करावे ना ही प्रेरित करे। इसलिये श्रीमान के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ। वाद कारण दिंनाक 12–04–2024 को प्रतिवादी सं0–1 लगायत –3 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को भूमाफियाओ को विकय करने की धमकी देने तथा उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने से उत्पन्न होकर निरंतर जारी होने के कारण श्रीमान के समक्ष उक्त वाद लाना आवश्यक हुआ प्रतिवादी सं0–11 सरकार जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 895 रकबा 2.13 हैक्टेयर वाके ग्राम पुनाना तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में हिस्सा 50/71 में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को बराबर –बराबर 1/7 – 1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निर्णय व डिकी पारित की जावे। तथा प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नही करे, विकय, रहन, बख्शीश या अन्य किसी प्रकार से किसी सोसायटी को जरिये इकरारनामा हस्तांतरण नही करे, तथा निर्माणात आदि नही करे ऐसा कृत्य प्रतिवादी ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, प्रतिनिधि, परिवारजन, रिश्तेदार आदि से करावे ना ही प्रेरित करे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 8, 10 के जवाब पेश नहीं करने के उपरांत जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 8, 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 09.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 मनोहरलाल पुत्र तेजाराम निवासी ग्राम नाली वाली ढाणी, श्याम कॉलोनी के पास, गाम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
2. PW2 गणेश यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील [illegible] जिला जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2073–2076, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2065–2068, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2069–72, प्रदर्श–4 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस अन्तिम सुनी गयी, दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र शपथ पत्र व दस्तावेजात में वर्णित अभिवचनों व साक्ष्य को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पैतृक संपत्ति है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के अनुसार परिवार की पैतृक भूमि ग्राम सिरसी में स्थित थी, जिसे वर्ष 2011 में विक्रय किया गया था। उस विकय पत्र से प्राप्त प्रतिफल संपत्ति (ग्राम पुनाना) खरीदी गई थी, जो कि प्रतिवादी संख्या 1(परिवार का कर्ता) के नाम पर पंजीकृत करवाई गई। अतः प्रतिवादी संख्या के हिस्से में 50/71 में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को बराबर –बराबर 1/7 – 1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने अपने वाद के समर्थ में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2073–2076, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2065–2068, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2069–72, प्रदर्श–4 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये हैं।

हमने प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1, 2, 3 एवं 4 का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 4 (विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2011) एक पंजीकृत दस्तावेज है, जो प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह साबित करता है कि विवादित संपत्ति का क्रय पूश्तैनी भूमि के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल से प्राप्त किया गया है साबित होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 व 92 के तहत पंजीकृत दस्तावेज की मान्यता सर्वोपरि है।

इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी–1 और प्रदर्श–2 जमाबंदीया यह दर्शित करते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां वादी के दावे का समर्थन करती है। प्रदर्श पी–3 मिलान क्षेत्रफल भूमि की पहचान और कब्जे की पुष्टि करता है चूकिं प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और उन्होने वादी के कथनों या दस्तावेजो का कोई खण्डन नहीं किया है, अतः वादी की गवाही और प्रस्तुत दस्तावेजों को अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति यह उपधारण (Presumption) उत्पन्न करती हैं कि उन्हें वादी के दावे को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी यह सिद्व करने में सफल रहा है कि विवादित संपत्ति पर उसका वैधानिक हक एवं हिस्सा है और प्रतिवादीगण को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का यह तर्क कि विवादित भूमि पैतृक फंड (Ancestral Nucleus) से खरीद गई है, शपथ पत्र द्वारा समर्थित है और प्रतिवादीगण द्वारा इसका कोई खण्डन(Rebuttal) भी नहीं किया गया हैं। कानून, यदि कोई संपत्ति संयुक्त परिवार के मुखिया (कर्ता) के नाम पर खरीदी जाती है लेकिन उसके धन पैतृक संपत्ति को बेचकर आता है, तो व संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति (Joint Family Property) मानी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman
Date: 2026.01.16 16:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बामनवास

चूकि प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर यह नहीं कहां कि यह उनकी स्वअर्जित (Self-acquired) संपत्ति हैं, अतः वादी का यह कथन स्वीकार्य है कि उक्त भूमि में सभी सदस्यों का बराबर हिस्सा है।

::आदेश::

यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पुनाना तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895 रकबा 2.13 हैक्टेर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 50/71 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को बराबर–बराबर (1/7–1/7) रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के 1/7 के हिस्से के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें। प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्णय व डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 28/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक –24.04.2024

मनोहरलाल पुत्र तेजाराम, उम्र वर्ष, निवासी नाली वाली ढांणी श्याम कालोनी के पास, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज०)

.......वादी

बनाम

1. तेजाराम पुत्र नाथू उर्फ नाथ्या
2. भगवान सहाय पुत्र तेजाराम
3. रमेश पुत्र तेजाराम
4. बोदूराम पुत्र तेजाराम

निवासीयान नाली वाली ढांणी श्याम कालोनी के पास, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज0)

5. सायर पुत्री तेजाराम पत्नी रामप्रताप निवासी इन्दोकिया तन भम्भौरी, तहसील कालवाड जिला जयपुर (राज0)
6. मीरा देवी पुत्री तेजाराम पत्नी लालाराम निवासी बस्सी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर (राज0)
7. गिरधारीलाल पुत्र भगवान सहाय
8. जगदीश पुत्र भगवान सहाय
9. प्रभुदयाल भगवान सहाय
10. मुकेश पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम पुनाना, तहसील जालसू जिला जयपुर (राज0)

11. सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 22.12.2025

यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पुनाना तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895 रकबा 2.13 हैक्टेर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 50/71 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को बराबर–बराबर (1/7–1/7) रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के 1/7 के हिस्से के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.12.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:13:24 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ——

ओहदा ——

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:13:24 IST
Reason: SelfAttested